

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 7 / 2022

दायर दिनांक : 06 / 04 / 2022

निर्णय दिनांक : 27 / 04 / 2022

उनवान

1. तुलसीराम पिता लक्ष्मण बलाई निवासी गिदाखेड़ा तहसील भूपालसागर

प्रार्थी

बनाम

1. गणेशलाल पिता देव सालवी निवासी सदीपुरा तहसील भूपालसागर
2. भगवानलाल पिता नारू सालवी निवासी सदीपुरा तहसील भूपालसागर
3. श्यामूदेवी पत्नी भगवानलाल सालवी निवासी सदीपुरा तहसील भूपालसागर
4. जेतीबाई पत्नी वेणा सालवी निवासी गिदाखेड़ा तहसील भूपालसागर
5. भैरूलाल पिता वेणा सालवी निवासी गिदाखेड़ा तहसील भूपालसागर
6. मांगीबाई पुत्री वेणा सालवी निवासी गिदाखेड़ा तहसील भूपालसागर
7. राजूलाल पिता वेणा सालवी निवासी गिदाखेड़ा तहसील भूपालसागर
8. संतोषबाई पुत्री वेणा सालवी निवासी गिदाखेड़ा तहसील भूपालसागर
9. मादूलाल पिता लक्ष्मण सालवी निवासी गिदाखेड़ा तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण उपस्थित व पत्थरगढी की जाने में कोई आपत्ति नहीं होना बताया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थिया रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500- रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा पटवार हल्का फलासिया तहसील भूपालसागर की आराजी संख्या 2245/664, 276, 661, 62, 665 रकबा कमशः 0.16, 0.60, 0.30, 0.21, 0.33 कुल 1.62 हैक्टेयर भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



निर्णय आज दिनांक 27.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया ।

(भावना सिंह)

उपखण्ड सहायक कलेक्टर, भूपालसागर
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)